

कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा (मध्यप्रदेश)

दूरभाष-07577- 225007, 225006

फैक्स- 07577- 225011

कमांक/ 9922 /स्थापना/ 2016-17  
प्रति,

हरदा दिनांक 05/08/2017

उप संचालक (विज्ञापन)  
जनसंपर्क संचालनालय म0प्र0  
बाणगंगा भोपाल

विषय:-  
संदर्भ:-

विज्ञापन प्रकाशित करने के संबंध में ।  
म0प्र0शासन राजस्व विभाग के परिपत्र कमांक ए-2-10/2012/सात/ 4 ए दिनांक  
4 मार्च 2014

—00—

संदर्भित पत्र के परिपालन में लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियांवयन के लिए अस्थायी तौर पर सृजित डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) आधार पर नियुक्ति हेतु 01 दैनिक समाचार पत्र एवं म0प्र0माध्यम द्वारा प्रकाशित रोजगार निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करें । विज्ञापन एवं आवेदन पत्र की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है ।

अपर कलेक्टर  
जिला-हरदा

पृ0कमांक/ 9923 /स्थापना/ 2016-17  
प्रतिलिपि:-

हरदा दिनांक 05/08/2017

- 1 प्रमुख सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
- 2 डी.आई.ओ.एन.आई.सी हरदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अपर कलेक्टर  
जिला-हरदा

## कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा (मध्यप्रदेश)

क्रमांक/ 9940 /स्थापना/2017

हरदा, दिनांक: 05/09/2017

कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर पद पर संविदा नियुक्ति  
आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि .....

म0प्र0शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक ए-2-10/2012/सात/ 4 ए दिनांक 4 मार्च 2014 एवं 11 सितम्बर 2014 के अनुसार लोक सेवाओं के प्रदाय गारंटी अधिनियम 2010 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये जिल के अनुभाग तहसील कार्यालय हेतु कार्यालय सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर के पद पर संविदा आधार पर प्रतिमाह 10,000=00 मानदेय पर निम्नानुसार पदों की पूर्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये जात है :-

क्र	कुल पद	अजजा	अजा	अनारक्षित
1	03	01 पद	01 पद	01 पद

### 2 पद हेतु शैक्षणिक आर्हता एवं योग्यता:-

- 1 कार्यालय पत्र एवं कार्यालयीन कार्य को हिन्दी एवं अंग्रजी में टंकण करने की दक्षता
- 2 डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी ।
- 3 दस्तावेजों की स्केनिंग ।
- 4 एम.एस.-ऑफिस तथा डाटावेस सॉफ्टवेयर में कार्य करने का 03 साल का अनुभव
- 4 शैक्षणिक योग्यता 12 वी कक्षा उत्तीर्ण ।
- 6 एक वर्ष का यू.जी.सी.से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा कम्प्यूटर का डिप्लोमा ।
- 7 न्यूनतम तकनीकी योग्यता C P C T परीक्षा उत्तीर्ण ।

### 3 संविदा नियुक्ति की सामान्य शर्तें:-

- 1 संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये बैद्य होगी ।
- 2 01.09.2017 को 18 वर्ष से 35 वर्ष तक ( शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्डल में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को 5 वर्ष की छूट प्रदान की जावेगी । )
- 3 संविदा नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस या वेतन देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी ।

### 4 अन्य -

- 1 इस संविदा नियुक्ति के आधार पर नियमितिकरण संबंधी कोई मांग या दावा नहीं किया जायेगा ।
- 2 संविदा नियुक्ति आदेश जारी करने के दिनांक से 15 दिन प्रभावशील होगी । इस अवधि में यदि संविदा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जो संविदा का नियुक्ति का अदेश स्वतः प्रभावशून्य हो जायेगा ।
- 3 संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम लागू होंगे ।
- 4 अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है ।
- 5 मध्यप्रदेश शासन में लागू आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया जावेगा ।
- 6 संविदा पर नियुक्त कार्यालय सहायक एक माह का पूर्व का नोटिस कार्यालय को दकेर अथवा एवं माह का पारिश्रमिक नगर जमा कर संविदा सेवा से त्यागपत्र दे सकता है ।
- 7 किसी भी विवाद की स्थिति में कार्यालय प्रमुख का निर्णय बंधनकारी होगा ।
- 5 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मैप आईटी (MAP-IT ) द्वारा आयोजित कम्प्यूटर दक्षता प्रामाणीकरण परीक्षा ( CPCT ) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा ।

2

(6) चयन प्रक्रिया के चरण/आधार :-

- 1 CPCT स्कोर कार्ड अनुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी । तत्पश्चात मेरिट सूची के अनुसार संविदा नियुक्ति की जावेगी ।
- 2 दो आवेदको के प्रप्तांक समान हाने पर अधिक आयु वाले आवेदक को वरियता दी जावेगी ।
- (7) आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्र राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित हो सकते है,स्व-प्रमाणीकरण व्यवस्था के अंतर्गत आवेदक स्वयं भी प्रमाणित कर सकते है,उन्हें म.प्र.शासन के परिपत्र दिनांक 21.5.2014 के अनुसार घोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
- (8) आवेदन पत्र निर्धारित तिथि...18.09.2017 शायं 5:30 बजे तक कलेक्टर हरदा को प्राप्त होना अनिवार्य होगा । आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट एवं पंजीयन डाक से भी भेज सकते है । निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र जमा करना संभव नहीं होगा । सीधे कार्यालय में भी आवेदन पत्र जमा किये जा सकते है ।
- (9) इस संबंध में विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय हरदा से प्राप्त की जा सकती है, साथ वेबसाइट [www.harda.nic.in](http://www.harda.nic.in) पर प्राप्त की सकती है ।

अपर कलेक्टर  
जिला-हरदा

## आवेदन पत्र

प्रति

कलेक्टर

जिला-हरदा (म.प्र.)

विषय: कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र।

- 1- अ. आवेदक का पूरा नाम (हिंदी में).....  
ब. अंग्रेजी में (कैपिटल अक्षरों में).....
- 2- लिंग - पुरुष / महिला .....
- 3- पिता / पति का नाम उपनाम सहित .....
- 4- अ. पत्र व्यवहार का पता .....
- ब. स्थायी पता पिनकोड सहित.....
- 5- जन्मतिथि ..... वर्ष ..... माह ..... दिन  
(10+2 परीक्षा के प्रमाण पत्र के आधार पर) शब्दों में .....
- 6- दिनांक 01.09.2017 को आयु: वर्ष ..... माह..... दिन .....
- 7- क्या मध्यप्रदेश के मूल निवासी है? हाँ / नहीं .....
- (चयन की स्थिति में संविदा के पूर्व मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)
- 8- क्या आवेदक मध्य प्रदेश शासन द्वारा म.प्र. के लिये घोषित एवं मान्य अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है ? हाँ / नहीं .....
- 9- क्या आवेदक निःशक्त है? हाँ / नहीं.....  
(निःशक्त / विकलांग होने पर प्रमाण पत्र संलग्न किया जावेगा)
- 10- शैक्षणिक योग्यता:

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	प्राप्तांकों का प्रतिशत
1	हायर सेकेंडरी (10+2)				
2	कम्प्यूटर				
3	अन्य कोई				
4	CPCT स्कोरकार्ड				

11- कार्य अनुभव के विवरण - इस सम्बन्ध में आवश्यक सत्यापित पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।

### :::घोषणा पत्र:::

मैं घोषणा करता / करती हूँ की उपरोक्त जानकारी जो मेरे द्वारा दी गयी है, वह पूर्णतः सत्य है एवं आवेदित पद हेतु निर्धारित पात्रता रखता / रखती हूँ। जानकारी असत्य पाए जाने की दशा में मेरा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा तथा मेरे विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी। मैं यह भी घोषित करता / करती हूँ की मेरे अंतिम जीवित बच्चे का जन्म (यदि दो से अधिक जीवित बच्चे हो तो) 26.01.2001 के पश्चात् नहीं हुआ है।

दिनांक: -

स्थान: -

आवेदक के हस्ताक्षर  
(पूरा नाम सहित)